



ग्रामीण विकास एंव सामाजिक परिवर्तन

शोध छात्र— समाजशास्त्र विभाग, उदय प्रताप स्वायत्तशासी महाविद्यालय,
वाराणसी, (उत्तराखण्ड), भारत

Received- 02 .12. 2021, Revised- 07 .12. 2021, Accepted - 11.12.2021 E-mail: mitrasociology@gmail.com

सांकेतिक: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांवों के विकास के बिना देश का विकास सम्भव नहीं है। देश की आजादी 73 वर्षों में सरकारी, स्वयं सेवी संस्थाओं व आम जनता के सहयोग से गांवों का दिनों- दिन विकास हो रहा है। भारत सरकार ने समय – समय पर कई योजनाओं का संचालन किया, ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया, आम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुँच रही हैं। लोग आत्म सम्मान के साथ जी रहे हैं। महिलाएं आत्म निर्भर हो रही हैं।

कुंजीभूत शब्द—स्वयं सेवी, आम जनता, संचालन, सरकारी योजनाएं, आत्म सम्मान, आत्म निर्भर, ग्रामीण संरचना।

ग्रामीणविकास एंव सामाजिक परिवर्तन – सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी 1 अरब 25 करोड़ है, जो विश्व की 17.5 प्रतिशत आबादी के बराबर है। उनमें से 69 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वर्तमान में कुल 6.38 लाख गांव हैं। कहा भी जाता है भारत गांवों का देश है, अर्थात् गांवों की तरक्की के बिना भारत की उन्नति नहीं की जा सकती विकास के कई पहलू हैं। यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धारणाएं प्रस्तुत करती हैं। मनुष्य की सभी आकांक्षाओं और इच्छाओं से जुड़ी है, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, विकास इनको प्राप्त करने का उपाय बताती है। विकास से प्रगति दिखती जो लोगों के जीवन पर वास्तविक प्रभाव डालती है।

20वीं शताब्दी में ग्रामीण समाजिक संरचना में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। ग्रामीण विकास से तात्पर्य मूल रूप से तीन प्रमुख मुद्दों से है –

- 1— शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली तथा आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना।
 - 2— गरीबी को दूर करने हेतु रोजगार के समुचित अवसर पैदा करना।
 - 3— देश के शासन में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उनमें जागरूकता एंव चेतना का संचार करना।
- इस प्रकार की व्यवस्था से लोगों की सामाजिक, आर्थिक एंव सांस्कृतिक विकास होना संभव है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई संस्थाओं का गठन किया गया है, एंव कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू कराये गये। आज इसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी व सिचाई के साधन उपलब्ध कराये गये हैं। देश में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की दर बढ़ी है। लोग अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहे हैं। शहरों में मिलने वाली सुविधाओं की मांग ग्रामीण क्षेत्रों में होने लगी है। सरकार भी चाहती है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तेज हो, जिससे एक बड़ी आबादी पलायन से बच सके। साथ ही सम्यता और संस्कृति का संरक्षण हो सके। सरकार व यूनीसेफ जैसी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह के स्कूल चला रहे हैं। विशेषकर लड़कियों को शिक्षा दी जा रही है। लड़कियों की शिक्षा के लिए कस्तूरबा सहित कई विद्यालय खोले गये हैं। सरकार काशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रही है।

ग्राम विकास और सामाजिक परिवर्तन में पंचायती राजव्यवस्था ने क्रातिकारी बदलाव किया, पुरुष महिला अन्तरों में कमी आयी है। महिलायें राजनीतिक भागीदारी के साथ—अपना आर्थिक समर्थन कीरण भी कर रही हैं। पंचायती राजसंस्थाओं में नये – नये छोटे छोटे पदों पर चुने गये प्रतिनिधियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिससे उनके सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि हुई है। मध्यम वर्गों का उदय हुआ है। यह परिवर्तित समाज को दर्शाता है।

ग्रामीण से शहरी गतिशीलता की प्रवृत्ति हो रही है। पलायनवादी लोग बहरों से पैसा कमाकर गांव में अपने परिवार को उन्नत तरीके से रखना चाहते हैं। शहरी संस्कृति को ग्रामीण संस्कृति से आत्मसात कर अपना जीवन स्तर उच्च रखते हैं। गांव में कानून और न्याय व्यवस्था भी बेहतर हो गयी है। सरपंचों को कई न्यायिक अधिकार दिये जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन पर अंकुश व निर्गानी के लिए जनता की एक टीम गठित की गयी है। गांव में सम्पन्नता दिखाई दे रही है। यदि गांव के लोगों के जीवन स्तर को चार भागों – धनी, मध्यम, धनी और गरीब में बांटते हैं, तो गरीब जीवन स्तर पहले 40 प्रतिशत और औसत का 20 प्रतिशत था, अब गरीब का कम होकर औसत का 60 प्रतिशत हो गया है। ग्रामीणों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। गांव में विभिन्न तरह के धार्मिक विश्वास और संस्कृति का मिश्रण होता है। अब ग्रामीण विवाह भी अनुलोम और प्रतिलोम दोनों हो रहे हैं। वर्तमान में व्यक्ति जाति पर निर्भर न होकर ज्यादातर उसकी शिक्षा एंव उपलब्धि पर निर्भर हो गया है। जजमानी व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्रम का मेरुदण्ड था। इस वंशानुगत और श्रेणीबद्ध व्यवस्था में



जजमान और कमीन दो होते हैं, लेकिन यह व्यवस्था धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। इसका ह्रास होने का कारण शहरों की ओर पलायन, धर्म में विश्वास की कमी पुरानी जाति व्यवस्था से दूरी एवं वर्ग संघर्ष तथा कोई जाति विशेष का पेशा न रह जाना है। औधोगीकरण, शहरीकरण, परिवहन के साधनों में वृद्धि, अंग्रेजी शिक्षा की लोकप्रियता, राजनीतिक एवं सामाजिक जागरूकता लोकतांत्रिक सरकार और छुआछूत को दूर करने वाले कानून ने जातिवाद के कुप्रभावों को कम कर दिया है। हर वर्ग द्वारा भेदभाव का दंश झेलने से ग्रामीण कमज़ोर वर्ग अपने अधिकारों के प्रति कर जागरूक हो गये हैं।

निष्कर्ष :- ग्रामीण विकास की प्रवृत्तियों ने ग्रामीण सामाजिक दर्शन एवं संरचना में परिवर्तन लाई है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन अन्य कारणों से भी आ सकते हैं। जैसा कि एस. श्रीनिवासन कहते हैं, कि “जब निचले वर्ग के लोग उच्च वर्ग के संस्कृति, भाषा, रहन – सहन और रीतरिवाज इत्यादि का अनुसरण करते हैं, तो समाज में सामाजिक परिवर्तन आते हैं।” उल्लेखनीय है, कि जहां – जहां ग्रामीण विकास की दिशा में प्रगति हो रही है। वहां स्थानीय लोगों का अपने क्षेत्र के प्रति लगाव और स्नेह गहरा हो रहा है। इस बढ़ते हुए लगाव तथा गांवों के भौतिक विकासफलस्वरूप गांवों से शहरों की ओर पलायन में कमी लाने में मदद मिल रही है। विकास का मतलब सदा नये कार्यों में पहल तथा परिवर्तन का मतलब निरंतर और सकारात्मक होना चाहिए। अतः ग्रामीण जनता को योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से मानवीय विकास के पहलुओं, नीति-निर्माण एवं क्रियान्वन कार्यों में सरलता, खुलापन, संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व व प्रतिबद्धता का होना नितांत आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, बिहारी सवालिया (2003): ग्रामीण भारत के सर्वानुभुवी विकास : एक परिदृश्य, संजय प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. शर्मा, राजेन्द्र कुमार (1997): रुरल सोसिओलॉजी, अटलांटिक प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. मैथ्यू जार्ज(2003): भारत में पंचायती राज परिप्रेक्ष्य और अनुभव, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. योजना आयोग : भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. यादव, सुबह सिंह (1991) : ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
6. योजना : प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
7. कर्ण, एम० एन० (2003) : सोशल चेंज इन इण्डिया, एनसीआरटी प्रकाशन नई दिल्ली।
8. कुरुक्षेत्र : प्रकाशन विभाग, सूचना प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
